न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

जबरसिंह के का. मु. श्रीमती शोभा कंवर व अन्य

बनाम

किरण भाटी इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रामकरण खोजा, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 02
3. श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05

आदेश

दिनांक 03 जून 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टरभोपालगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2019 अनवान किरण भाटी व अन्य बनाम जबरसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 मार्च 2021 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाण्ट का विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 8 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 11 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 44 रकबा 06 बीघा एवं खसरा संख्या 45 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा, कुल खसरा 04 कुल रकबा 19 बीघा ग्राम बुरच्छा में से 1/3 हिस्सा जरिये पंजीबद्ध बेचाननामा के खातेदार श्री जबरसिह पुत्र श्री सवाईसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी ग्राम बुरच्छा, तहसीलभोपालगढ़ जिला जोधपुर से खरीद की थी जो

	बेचाननामा कार्यालय उपपंजीयक भोपालगढ जिला जोधपुर के यहां दिनांक 08.10.2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 164, पृष्ठ संख्या 60, क्रम संख्या 201803060102971 पर पंजीबद्धसुदा है। बाद खरीद उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से पर अपीलांट कावक्त खरीद से बहैसियत मालिकाना कब्जा, काश्त चला आ रहा है। अपीलाण्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कानूनी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अगर नाबालिग है तो उनकी कुदरती वली संरक्षक उनके ताऊ/बडे पिता वीरसिंह होते या उनकी भुआ पिता की बहिन चन्द्राकवर होती है, लेकिन श्रीमती मोहन कंवर ने अपने आपको संरक्षक बताकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि सम्मत नही है। श्रीमती मोहन कंवर को जिला न्यायालय, जोधपुर द्वारा विधिक संरक्षक घोषित नही किया गया है और न ही प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की नजदीकी रिश्तेदार है। इस कारण मोहन कंवर द्वारा अपीलाण्ट को तंग व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो खारिज किये जाने योग्य था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वो काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने दावा प्रस्तुत करते समय दावे में व प्रार्थना पत्र में स्व. जबरसिंह पुत्र श्री सवाईसिंह की वंशावली प्रस्तुत नहीं की है, जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मोहन कंवर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की संरक्षक किस हैसियत से बनी। इसलिये अपीलाण्ट द्वारा इस अपील में विस्तृत वंशावली प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त वंशावली अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से मनोहर कंवर ने अपने आपको तथाकथित संरक्षक बताकर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि मनीषा भाटी व किरण भाटी वर्तमान मे चन्दाकंवर के पास रहती है तथा चन्दाकंवर ही इनका लालन पालन करती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये	

	बिना तथा अपने आदेश में अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना गलत तरीके सेपूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को दावे के निस्तारण तक कंफर्म कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मूल दावा केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा हेतु ही प्रस्तुत किया है, अगर वे अपने पिता द्वारा किये गये बेचाननामा से व्यथित थे तो सक्षम न्यायालय में बेचाननामा निरस्तीकरण का वाद प्रस्तुत करते, जिसमें न्याय शुल्क अदा करनी पडती थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा न्याय शुल्क राज्य सरकार में अदा नहीं करने की नियत से केवल मात्र राजस्व न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का ही वाद प्रस्तुत किया गया है वो भी कानून्न चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट अपनी खरीदसुदा भूमि पर दिनांक 02.02.2021 को गया तो श्रीमती मोहन कंवर ने ऐलानीया धमकी दी कि तुम्हारे खिलाफ तो हमने स्टे ले रखा है। तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ कि अपीलांट के अधिवक्ता को बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। तब अपीलांट ने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 03.02. 2021 को आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 05.02.2021 को प्राप्त हुई। तत्पश्चात अपीलांट ने हस्तगत अपील जानकारी से अंदर म्याद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया किप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2019 को निरस्त किया जावे। जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसमें रेस्पोडेंट्स	

	का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की ओर से अपनी पुश्तैनी भूमि में खातेदारी अधिकारों, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते पत्रावली पर उपलबध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है। मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक प्रकट होता है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 8 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 11 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 44 रकबा 06 बीघाएवं खसरा संख्या 45 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा, कुल खसरा 04 कुल रकबा 19 बीघा ग्राम बुरच्छाके 1/3 हिस्से के खातेदार श्री जबरसिह पुत्र श्री सवाईसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी ग्राम बुरच्छा, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर से पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 08.10.2018 के जरिये खरीदसुदा खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की पुश्तैनी भूमि होना मानते हुए अपीलांट के विरुद्ध मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रतीत होता है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के खातेदारी अधिकारों का निर्णय मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होना है।	

	तब तक उनके संभावित खातेदारी अधिकारों का संरक्षण वादग्रस्त आराजी को बेचान/हस्तांतरण न किये जाने से भी संरक्षित किया जा सकता है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का वर्तमान में पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग-उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के प्राकृतिक संरक्षक नियुक्ति का विषय भी विचारणीय है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांटआंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2019 को अपास्त किया जाता है। साथ अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वह मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	